सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 10- जल उपभोक्ता समिति द्वारा जल अपराधों पर नियंत्रण

विषय -10.2 जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण

विषय -10.2

जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण

मॉड्यूल 10 के विषय :

10.1 जल अपराध एवं उनकी परिभाषा
10.2 जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण
10.3 नहर अपराध का प्रशमन, अपील एवं अनधिकृत उपयोग पर रोकथाम
10.4 जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय एवं विवाद समाधान

○

10.2 जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण

(1) जाँच संस्था

विभिन्न प्रदेशों के अधिनियमों में जांच संस्था के लिए एक रूपता नहीं है. अधिकाँश राज्यों मे अधिनियम या तो अस्पष्ट हैं अथवा सरकारी अधिकारियों को

ही जांच अधिकारी रखा गया है. जल उपभोक्ता समितियों को उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें जांच इत्यादि कार्यों मे सम्मिलित किया जाना उपयुक्त होगा .

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जाँच हेतु सक्षम जाँच संस्था एवं जांच प्रक्रिया निम्नवत् हैं.

(क) कुलाबा कमांड में घटित अपराध हेतु अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति सक्षम जाँच संस्था होगी।

(ख) अल्पिका अथवा अल्पिका कमाण्ड में एक से अधिक कुलाबों को प्रभावित करने वाली संरचना पर घटित अपराध हेतु रजवहा समिति की प्रबन्धन समिति सक्षम जाँच संस्था होगी।

(ग) रजबहा अथवा रजबहा कमाण्ड में एक से अधिक अल्पिका कमाण्ड को प्रभावित करने वाली संरचना पर घटित अपराध हेतु शाखा समिति की प्रबन्धन समिति सक्षम जाँच संस्था होगी।

(घ) यदि किसी स्थान पर समिति नहीं है तो जाँच सम्बन्धित नहर अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) जाँच का प्रारम्भ

(क) सक्षम जाँच संस्था द्वारा नहर अपराध की सूचना मिलते ही जाँच प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(ख) पुलिस अधिकारियों/राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों तथा उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि नहर अपराध घटित होने अथवा घटित होने की आशंका का संज्ञान होते ही तत्काल सक्षम जाँच संस्था के पदाधिकारी अथवा सक्षम नहर अधिकारी को इसकी सूचना दें तथा सक्षम जाँच संस्था के कार्य में सहयोग दें.

(ग) सिंचाई विभाग के फील्ड स्टाफ जैसे सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, अवर अभियन्ता आदि का यह दायित्व होगा कि नहर अपराध घटित होने अथवा घटित

होने की आशंका होने पर इसकी सूचना तत्काल सक्षम जाँच संस्था तथा सक्षम नहर अधिकारी को देंगे तथा जाँच कार्य में सक्षम जाँच संस्था को सम्यक सहयोग देंगे।

(घ) जिलेदार एवं सक्षम जाँच संस्था द्वारा एक नहर अपराध पंजिका रखी जाएगी जिसमें अपराधों से सम्बन्धित सूचना अंकित की जाएगी।

(3) नहर अपराध जाँच की प्रक्रिया

निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी-

(क) किसी समिति के कार्यक्षेत्र में नहर अपराध के घटित होने पर सक्षम जाँच संस्था द्वारा अपराध की जाँच हेतु एक उप समिति बनायी जाएगी तथा प्रकरण जाँच उप-समिति को निर्धारित समय में जाँच करने तथा जाँच आख्या देने हेतु सौंपा जाएगा.

(ख) जाँच उपसमिति द्वारा नहर अपराध घटित होने की सूचना जिलेदार अथवा निर्धारित फील्ड कर्मी के माध्यम से सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण की जाँच की जाएगी। जाँच हेतु उपसमिति घटना स्थल पर जा कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेगी तथा यथा-आवश्यक घटना स्थल के साक्ष्य तथा फोटोग्राफ आदि भी लेगी। सक्षम जाँच संस्था द्वारा जाँच कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाएगा।

(ज) पारदर्शी जाँच के लिए उपसमिति द्वारा आरोपित व्यक्ति को सफाई पेश करने तथा प्रत्यक्षदर्शीगणों के बयान दर्ज करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा।

(झ) सींच पर्यवेक्षक एवं सींचपाल अथवा निर्धारित फील्ड कर्मी का यह दायित्व होगा कि जाँच उपसमिति के साथ समन्वय स्थापित कर जाँच शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराएं एवं जाँच आख्या तैयार करवाए।

(ट) जाँच उप-समिति प्रकरण की जाँच कर समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों के साथ आख्या यथास्थिति अल्पिका/ रजबहा/ शाखा समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी.

(ठ) अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समिति की सहमति से जाँच आख्या पर अन्तिम निर्णय लेते हुए अपराध के लिए दण्ड की कार्यवाही हेतु जाँच आख्या सम्बन्धित जिलेदार अथवा निर्धारित फील्ड कर्मी व सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

(ड) जाँच आख्या जिलेदार / निर्धारित फील्ड कर्मी को प्रेषित होने पर उनका यह दायित्व होगा कि सक्षम जाँच संस्था की जाँच के आधार पर मुकदमा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट (नहर) की अदालत में दायर करे तथा पैरवी के लिए अमीन / निर्धारित फील्ड कर्मी को नामित करे। जाँच आख्या में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने पर जिलेदार/ निर्धारित फील्ड कर्मी द्वारा जाँच संस्था से कमियों को दूर करवाया जाएगा,

(ढ) स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमें की कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, एवं तत्धीन निर्मित नियमावली के अन्तर्गत की जाएगी,

(4) नहर अपराध हेतु दण्ड

नहर अपराध हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर अपराधी को निम्नलिखित दण्ड दिया जा सकता हैः-

(1) अधिनियम में प्राविधानित अवधि तक का कारावास; अथवा

(2) क्षतिपूर्ति की सीमा तक परन्तु अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम जुर्माना; अथवा

(3) उक्त दोनों

(4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाए तो कम से कम न्यूनतम जुर्माना का दोगुना दण्ड लगाया जा सकता है ।

(5) भारत के विभिन्न प्रदेशों मे दण्ड की राशि तथा कारावास की अवधि अलग अलग दी गई है जैसे गुजरात मे कारावास का कोई प्राविधान नहीं है दण्ड की

धनराशि गुजरात, उत्तर प्रदेश व केरल मे न्यूनतम 500/=, 1000/= से लेकर मरम्मत में लगने वाली धनराशि तक है जबकि अन्य प्रदेशों मे यह राशि 2000/= तक है. एकाध प्रदेश जैसे महाराष्ट्र मे यह राशि सिंचाई दरों की 10 गुणा दी हुई है। कुछ प्रदेशो मे कारावास 2 वर्ष तक है जबकि कुछ मे 6 माह तक.

उदाहरण के लिए , उत्तर प्रदेश में निर्धारित प्रक्रिया का सारांश नीचे चार्ट में दिया गया है. इस प्रक्रिया मे समिति एवं विभाग के दायित्व स्पष्ट किए गए है.

चित्र - 1: नहर अपराध की प्रक्रिया तथा समिति एवं विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व

अपनी जानकारी की जांच करें:

अल्पिका कमांड में हुए अपराध की जांच (विवेचना) कौन करेगा?

उपरोक्त प्रस्तर 10.2 (1) (ख) से अपने उत्तर का मिलान करें ।